

समान नागरिक संहिता: एक व्यापक दृष्टिकोण

डॉ सुरेश कुमार मेघवाल

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान
राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहाबाद, बारां

सारांश

समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड में देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के भाग-प्टके अनुच्छेद-44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करती है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) उन कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं और विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से निपटने में धर्म पर आधारित नहीं होते हैं। संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि कानूनों का एक समान सेट होगा जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के संबंध में हर धर्म के आदिम व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेगा। यूसीसी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है जो कानून की अदालत में लागू करने योग्य या न्यायसंगत नहीं है। यह देश के शासन के लिए मौलिक है। एक आदर्श राज्य के लिए यूसीसी नागरिकों के अधिकारों की एक आदर्श सुरक्षा होगी। इसे अपना एक प्रगतिशील कानून होगा। बदलते समय के साथ, सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पैदा हो गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं। यहां तक कि यूसीसी लागू करके धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को भी मजबूत किया जा सकता है।

मूलशब्द: समान आचार संहिता, संविधान, नागरिक संहिता, अनुच्छेद-44, धार्मिक समुदाय, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता, धार्मिक समुदाय

समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी, जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने आदि में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम (1937) जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे (भारत का विधि आयोग 2021, पृष्ठ संख्या-1)।

देश में संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना और देशभर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। संविधान निर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि यूसीसी जरूरी है लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद-35 को भारत के संविधान के भाग-प्ट में अनुच्छेद-44 के रूप में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। इसे संविधान में इस नजरिए के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब

राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और यूसीसी को सामाजिक स्वीकृति दी जा सकती है (अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)।

यह मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। भारतीय संविधान निर्माताओं में से एक ड्राफ़्टिंग कमिटी के अध्यक्ष डॉ० अंबेडकर समान नागरिक संहिता को देश में लागू करने के पक्ष में थे। डॉ० अंबेडकर का अभिमत था की समान नागरिक संहिता पुरानी रूढ़िवादी प्रथा, क़ानून, नियम इत्यादि को समाप्त कर के आधुनिक भारत की नींव रखेगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु का अभिमत इसके विपरीत था। नेहरु समान नागरिक संहिता को देश में लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उनका अभिमत था की अल्पसंख्यकों को नए स्वतंत्र भारत में धर्म की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित होना चाहिए। नेहरु के अनुसार भारत सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषायी इत्यादि रूप से विविधताओं का देश है (चंद्रा 2008, पृष्ठ संख्या-8)।

भारत की इस विविधताओं का सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नेहरु के समय से लेकर प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के कार्यकाल के तक समान नागरिक संहिता को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखायी गई थी। लेकिन वर्ष 2014 के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर परिस्थिति परिवर्तित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में समान नागरिक संहिता के संबंध में दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रयास तेज़ कर दिया है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र का भी हिस्सा था (वारुणी 2020, पृष्ठ संख्या-4)। समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड सरकार ने सर्वप्रथम वर्ष 2024 में लागू किया है। अब इसकी सम्भावना बहुत बढ़ गई है की सम्पूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क है।

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करती है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद-44 के अंतर्गत आती है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह मुद्दा एक सदी से भी अधिक समय से राजनीतिक कथा और बहस के केंद्र में रहा है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए प्राथमिक एजेंडा रहा है, जो संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है (अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-6)।

भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद-44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था। डॉ. भीम राव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कहा था कि यूसीसी वांछनीय है लेकिन फिलहाल इसे स्वैच्छिक रहना चाहिए, और इस प्रकार संविधान के मसौदे के अनुच्छेद-35 को भाग-प्ट में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद-44 के रूप में जोड़ा गया है। इसे संविधान में एक ऐसे पहलू के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और यूसीसी को सामाजिक स्वीकृति दी जा सकेगी। अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था, 'शकिसी को भी इस बात से आशंकित होने की जरूरत नहीं है कि अगर राज्य के पास शक्ति है, तो राज्य तुरंत उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ेगा... उस शक्ति को एक तरह से मुसलमानों या मुसलमानों द्वारा आपत्तिजनक पाया जा सकता है।' 'ईसाई या किसी अन्य समुदाय द्वारा। मुझे लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो यह एक पागल सरकार होगी।'

कानून जो लोगों के एक निश्चित समूह पर उनके धर्म, जाति, विष्वास और विष्वास के आधार पर लागू होते हैं, रीति-रिवाजों और धार्मिक ग्रंथों पर उचित विचार के बाद बनाए जाते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक प्राचीन ग्रंथों में अपना स्रोत और अधिकार पाते हैं (अवस्थी 2022, पृष्ठ संख्या-5)। हिंदू धर्म में, व्यक्तिगत कानून विरासत, उत्तराधिकार, विवाह, गोद लेने, सह-पालन, अपने पिता के ऋण का भुगतान करने के लिए बेटों के दायित्व, पारिवारिक संपत्ति के विभाजन, रखरखाव, संरक्षकता और धर्मार्थ दान से संबंधित कानूनी मुद्दों पर लागू होते हैं। इस्लाम में, व्यक्तिगत कानून विरासत, वसीयत, उत्तराधिकार, विरासत, विवाह, वक्फ, दहेज, संरक्षकता, तलाक, उपहार और पूर्व-मुक्ति से संबंधित मामलों पर लागू होते हैं, जिनकी जड़ें कुरान से ली गई हैं।

भारत में आपराधिक कानून समान हैं और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। वहीं, दूसरी ओर नागरिक कानून धार्मिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। दीवानी मामलों में लागू होने वाले व्यक्तिगत कानूनों को हमेशा धार्मिक ग्रंथों के आधार पर संवैधानिक मानदंडों के अनुसार लागू किया गया है। यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक समानता की बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। वहीं, दूसरी ओर विरोधियों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग-अलग कानून हैं।

शाह बानो मामले में सप्रीम कोर्ट ने खेद व्यक्त करते हुए कहा की अनुच्छेद-44 एक मृत बनकर रह गया है। समान नागरिक संहिता बिलक विचारधारा वाले कानूनों के प्रति अलग-अलग निष्ठाओं को खत्म करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी (अब्जर्वर रीसर्च फाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)। यह संभावना नहीं है की कोई भी समुदाय इस मामले पर समझौता कर के किसी पर विजय प्राप्त कर लेगा। समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का कार्य राज्य का है, और इसमें संदेह नहीं है कि इसे पूरा करना उसके विधायी दायरे में है। अलग-अलग मान्यताओं और विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर लाना आसान नहीं है। लेकिन अगर संविधान का कोई अर्थ रखना है तो एक शुरुआत करनी होगी। व्यक्तिगत कानूनों के बीच की खाई को पाटने की अदालतों की टुकड़ों-टुकड़ों में की गई कोशिशें समान नागरिक संहिता की दलील को स्वीकार नहीं कर सकती। इस प्रकार, हर मामले में न्याय की तुलना में सभी को न्याया प्रदान करना कहीं अधिक संतोषजनक तरीका है।

यूसीसी आने के बाद भारत में किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह किए बगैर सब पर इकलौता कानून लागू होगा। यूसीसी का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है (अग्रवाल 2022, पृष्ठ संख्या-2)। अधिनियमित होने पर यह कोड उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में हिन्दू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग-अलग हैं। यह संहिता विवाह समारोहों, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी और उन्हें सभी के लिए एक बनाएगी। एक ही नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होगा चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो।

भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्म-निरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों (जैसे – हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, आदि) को मानने वालों को अपने-अपने धर्म से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956; जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा, मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जा रही है (रंगा और रानी 2023, पृष्ठ संख्या-4)।

स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता की दिशा में निर्णायक पहल की है। उत्तराखंड विधानसभा से पारित विधेयक में सभी धर्म व वर्ग में विवाह अनुष्ठानों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। सप्तपदि, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र बंधन, आनंद कारज, आर्य समाजी विवाह, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विवाह आदि अनुष्ठानों को संरक्षित रखा गया है। संहिता में संपत्ति शब्द को हटाकर संपदा का प्रयोग किया गया है। मृतक की सभी प्रकार की चल-अचल, पैतृक, संयुक्त, मूर्त-अमूर्त किसी भी संपत्ति में हिस्सा, हित या अधिकारी को सम्मिलित किया गया है।

उत्तराखंड में समान संहिता लागू होने के बाद पैतृक संपत्ति व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। इसका विभाजन उसके उत्तराधिकारियों के मध्य तय नियमानुसार होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपदा की वसीयत कर सकता है। अभी तक मुस्लिम, ईसाई व पारसी समुदायों के लिए वसीयत के अलग-अलग नियम थे। संहिता लागू होने के बाद सभी धर्मों, वर्गों के लिए वसीयत का अधिकार समान होगा। राज्य के सभी निवासियों के साथ ही राज्य सरकार के सभी कार्मिकों, राज्य में कार्यरत केंद्र सरकार या उसके उपक्रम में कार्मिकों, राज्य में एक साल से निवासरत

व्यक्तियों, केंद्र व राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों पर यह लागू होगी। कहने का आशय यह कि राज्य में रह रहे सभी व्यक्तियों पर सिविल कानून समान रूप से लागू होंगे।

एक समान संहिता का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान मान्यताओं, प्रथाओं या सांस्कृतिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए; बल्कि, यह सुझाव देता है कि सभी नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि या विष्वास की परवाह किए बिना समान नागरिक कानूनों द्वारा शासित किया जाना चाहिए (अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)। इसका अर्थ है कानूनों को लागू करने में एकरूपता, न कि संस्कृति या धर्म में एकरूपता। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान की साझा भावना को बढ़ावा देते हुए भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के बहु सांस्कृतिक ताने-बाने को कायम रखता है।

यह अवधारणा "सहिष्णुता पर ग्रंथ" में वोल्टेयर के सिद्धांत को प्रतिध्वनित करती है, जहां वह इस बात पर जोर देते हैं कि एक सुशासित राज्य में, हर किसी की अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं का पालन करने की क्षमता को तब तक संरक्षित किया जाना चाहिए जब तक कि यह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। इस प्रकार, भारत में यूसीसी के कार्यान्वयन का उद्देश्य कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करना होगा, न कि सांस्कृतिक या धार्मिक अनुरूपता लागू करना। यह कानून के तहत सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बनाए रखने की अनिवार्यता के साथ अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं का पालन करने के व्यक्तियों के अधिकारों को संतुलित करने का एक प्रयास है।

इसके पक्ष में एक केंद्रीय तर्क लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यूसीसी की कमी ऐसे उदाहरणों को जन्म दे सकती है जहां व्यक्तिगत कानून महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे उन्हें समानता और स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों में निहित ऐसे लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में काम कर सकता है, जिससे लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा मिलेगा (भारत का विधि आयोग 2022, पृष्ठ संख्या-1)।

समस्या यह है कि सभी व्यक्तिगत कानूनों में, कुछ पहलू महिलाओं पर गलत प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, विरासत का अधिकार। महिलाओं के विरासत अधिकारों के संबंध में भारत में धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में स्पष्ट असमानताएं यूसीसी की मांग करती हैं। यह दावा तब और भी पुख्ता हो जाता है जब हम विभिन्न धार्मिक समुदायों में महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। धार्मिक कानूनों में व्याप्त ये विसंगतियाँ यूसीसी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं, और एक एकल, धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचा प्रदान करती हैं जो समानता सुनिश्चित करती है (अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)। विरासत अधिकारों में लिंग-आधारित पूर्वाग्रहों को समाप्त करती है। यूसीसी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करके सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करना होगा कि सभी लोग समान नागरिक कानूनों द्वारा शासित हों, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कुछ भी हो। यह सिद्धांत संविधान के आदेश के अनुरूप है, जैसा कि अनुच्छेद 44 में दर्शाया गया है, कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में यूसीसी को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

समान आचार संहिता क्रियान्वयन करने के समक्ष चुनौतियाँ

समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की विचारधार पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किए जाना है। समान नागरिक संहिता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की विचारधार पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किए जाना है। समान नागरिक संहिता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है (भारत का विधि आयोग 2023, पृष्ठ संख्या-1)।

आजादी के 75 साल में एक समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है। हालांकि, समान नागरिक संहिता को लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं। धार्मिक संगठनों का विरोध, राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण ऐसा अब तक नहीं हो सका है। धार्मिक संगठनों का विरोध, राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण ऐसा अब तक नहीं हो सका है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद-25 में शामिल किया गया है। यूसीसी का विरोध करने वालों का मानना है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच

संतुलन बनाना मुश्किल होगा। इसके चलते धर्म या जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानून भी संकट में आ जाएंगे। दक्षिण भारत के लोगों को लग रहा है की नए कानून में क्या होने वाला है, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। दक्षिण भारत में रिश्तेदारों के बीच शादियां हो सकती हैं। लेकिन यूसीसी इन सब रिवाजों को खत्म कर देगा। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता न हो और कहीं ये हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण न बन जाए (भारत का विधि आयोग 2022, पृष्ठ संख्या-1)।

अगस्त 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता न हो और कहीं ये हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण न बन जाए। समान नागरिक संहिता का प्रभावी अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। 21वें विधि आयोग ने कहा था कि इसके लिए देशभर में संस्कृति और धर्म के अलग-अलग पहलुओं का विश्लेषण करने की जरूरत होगी। सम्पत्ति, उत्तराधिकार और अन्य कई मामलों में भी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग तरह के कानून हैं। यूसीसी लागू होने के बाद ये सभी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अलग-अलग धर्मों का अलग-अलग बिंदुओं पर विरोध है। यूसीसी के लागू होते ही हिंदू (बौद्धों, सिखाओं और जैनियों समेत), मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को लेकर सभी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे।

निष्कर्ष

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करती है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद-44 के अंतर्गत आती है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह मुद्दा एक सदी से भी अधिक समय से राजनीतिक कथा और बहस के केंद्र में रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनीति के लिए प्राथमिक एजेंडा रहा है, जो संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा था।

भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद-44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था। डॉ. भीम राव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कहा था कि यूसीसी वांछनीय है लेकिन फिलहाल इसे स्वैच्छिक रहना चाहिए, और इस प्रकार संविधान के मसौदे के अनुच्छेद-35 को भाग-प्ट में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। इसे संविधान में एक ऐसे पहलू के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और यूसीसी को सामाजिक स्वीकृति दी जा सकेगी। अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था, शकिसी को भी इस बात से आशंकित होने की जरूरत नहीं है कि अगर राज्य के पास शक्ति है, तो राज्य तुरंत उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ेगा... उस शक्ति को एक तरह से मुसलमानों या मुसलमानों द्वारा आपत्तिजनक पाया जा सकता है। शर् ईसाई या किसी अन्य समुदाय द्वारा। मुझे लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो यह एक पागल सरकार होगी।

संदर्भ सूची

1. भारत का विधि आयोग (2023), समान आचार संहिता : पब्लिक नोटिस, न्त्स्रूीजजचेरूधूसंबवउउपेपवदवपिदकपंपदपबण्पदध्वजपबमध्णदपवितउ.बपअपस.बवकम.चनइसपब.दवजपबमध्
2. गोस्वामी, नरेश (2017), "समान नागरिक संहिता: सवाल और सम्भावनाएँ प्रतिमान", अजीज प्रेमजी विष्वविद्यालय, वॉल्यूम-10, संख्या-1, पृष्ठ संख्या- 39-54
3. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2023), समान आचार संहिता, न्त्स्रूीजजचेरूधूप्वतविदसपदमण्वतहधपदकपध्मगचमतज. चमांधपदकपंद

4. अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2022), समान आचार संहिता का मसला, न्त्स्रुीजजचेरुध्णवतविदसपदमण्वतहधीपदकपध्मगचमतजे.चमाध्वतवितह.106578
5. संसद टीवी (2023), समान नागरिक संहिता कितना ज़रूरी, न्त्स्रु न्त्स्रुीजजचेरुध्णवतविदसपदमण्वतहधीपदकपध्मगचमतजे.चमाध्वतवितह.106578
6. मेनन, निवेदिता (2014), भारत में समान आचार संहिता : एक बहस, फ़ेमिनिस्ट स्टडीज़, न्त्स्रुीजजचेरुध्णवतविदसपदमण्वतहधीपदकपध्मगचमतजे.चमाध्वतवितह.106578
7. डिसूज़ा, पीटर रॉनल्ड (2015), "भारत में समान नागरिक संहिता पर राजनीति", इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, वॉल्यूम-1, संख्या-1, पृष्ठ संख्या-1-14
8. वाय, अवस्थी (2022), "भारत में समान नागरिक संहिता और लैंगिक न्याय", जर्नल ऑफ़ लव एंड साइयन्स, वॉल्यूम संख्या पृष्ठ संख्या-
9. रंगा, अजय और रानी, इन्दु (2023), "समान आचार संहिता : वैधानिक अध्ययन", जर्नल ऑफ़ इनोवेटिव रीसर्च थॉट, वॉल्यूम-9, संख्या-2, पृष्ठ संख्या- 1-15
10. भारद्वाज, एमव् (2018), "भारत में समान नागरिक संहिता", जर्नल ऑफ़ यूनिवर्सल रिपोर्ट्स, वॉल्यूम संख्या पृष्ठ संख्या
11. वारुणी, एस और विगनेश के (2020), "समान आचार संहिता", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़, वॉल्यूम-3, संख्या-4, पृष्ठ संख्या-1343-1356
12. अग्रवाल, सांची (2022), "समान आचार संहिता: एक अवलोकन", इंडियन जर्नल ऑफ़ लॉ एंड लीगल